संख्या-40/2015/वे0आ0-2-632/दस-8(मु0स0स0)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
राज्य सम्पत्ति विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 30 जुलाई, 2015**

विषय- राज्य सम्पत्ति विभाग के स्वागती संवर्ग की वेतन विसंगति/संवर्ग पुनर्गठन तथा राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहन चालकों को अनुमन्य विशेष भत्ता के पुनरीक्षण से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरणों पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सम्पत्ति विभाग के स्वागती संवर्ग की वेतन विसंगति/संवर्ग पुनर्गठन तथा राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहन चालकों को अनुमन्य विशेष भत्ता के पुनरीक्षण से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरणों पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं:--

(i) राज्य सम्पत्ति विभाग के स्वागती संवर्ग में उपलब्ध एक स्तरीय ढाँचे को निम्नानुसार त्रि-स्तरीय ढाँचे में तत्काल प्रभाव अर्थात विभागीय शासनादेश निर्गत होने की तिथि से पुनर्गठित किया जाये:--

क्र0 सं0	**पदनाम**	**वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन**	**पदों का प्रतिशत**	**भर्ती की प्रक्रिया/ अर्हता**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1	स्वागती	वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2400/-	50 प्रतिशत	**सीधी भर्ती द्वारा। अर्हता-**स्नातक उपाधि के साथ हिन्दी व अंग्रेजी पढ़ने, लिखने व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

				वार्तालाप करने की पूर्ण क्षमता ।
2	वरिष्ठ स्वागती	वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/-	30 प्रतिशत	07 वर्ष की सेवा वाले स्वागती के पदधारकों से ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
3	मुख्य स्वागती	वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/-	20 प्रतिशत	वरिष्ठ स्वागती के रुप में 05 वर्ष की सेवा अथवा स्वागती एवं वरिष्ठ स्वागती की सेवा को सम्मिलित करते हुए कुल 12 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ स्वागती के पदधारकों से ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(ii) स्वागती संवर्ग के उक्तानुसार पुनर्गठन के फलस्वरुप संशोधित/उच्चीकृत ग्रेड वेतन के उपलब्ध पदों पर वर्तमान में निम्न स्तर के पदों पर कार्यरत पदधारकों से ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर एक मुश्त समायोजन किया जाना उपयुक्त होगा। उक्तानुसार समायोजित होने वाले पदधारकों का संशोधित/उच्चीकृत ग्रेड वेतन में वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-59(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 एवं संख्या-वे0आ0-2- 577/दस-59(एम) 2008 टी0सी0, दिनांक 29 जून, 2010 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। एक मुश्त समायोजन की सुविधा सिर्फ एक बार ही दी जायेगी। उक्त सुविधा के उपरान्त शेष रिक्त पदों/भविष्य में रिक्त होने वाले पदों को पूर्व उप प्रस्तर की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तालिका के स्तम्भ-5 में सम्बन्धित पद हेतु निर्धारित अर्हता एवं भर्ती की प्रक्रिया के अनुसार ही भरा जायेगा।

(iii) राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहन चालक संवर्ग के पदों पर रु0 100/- तथा रु0 80/- प्रतिमाह की दर से अनुमन्य विशेष वेतन के स्थान पर तत्काल प्रभाव अर्थात विभागीय शासनादेश निर्गत होने की तिथि से क्रमश: रु0 500/- तथा रु0 400/- की दर से विशेष वेतन पूर्व निर्धारित एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराया जाये।

2- उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-40/2015/वे0आ0-2-632(1)/दस-8(मु0स0स0)/2008टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।